राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ

उदयपुर

पत्र संख्या- ३२८-२३/६५ दिनांक ८-१०-६५

सेवार्थ :-

श्रीमान जनरल सेक्रेटरी जी,
ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
नई दिल्ली

A. I. T. U. C.
Received 30.01.....16/1(?)
Replied.................

विषय :- मांग पत्र

महोदय,

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की संयुक्त बैठक दि० १२ व १३ सितम्बर, १९६५ को पाकिस्तानी आक्रमण एवं नगरपालिका कर्मचारियों के कर्तव्य के संबंध में प्रस्ताव पास किया है, उसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। पालिका कर्मचारियों और उनके संगठनों ने प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में अपने प्रयत्न प्रारंभ कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव और पास किये हैं, जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं :-

१) मांग पत्र दि० ११-६-६५ की कार्यान्विति नहीं करने पर छः सप्ताह पश्चात् राज्य व्यापि आन्दोलन करना।

२) द्वितीय से पंचम श्रेणी तक की नगरपालिकाओं की स्टाफ स्ट्रेंथ के लिये नियुक्त समिति में फेडरेशन का समान प्रतिनिधित्व बाबत तथा इसी प्रकार पालिका कर्मचारियों के लिये राज्य या स्थानीय स्तर पर नियुक्त समितियों में संगठनों का प्रतिनिधित्व बाबत।

३) राज्य कर्मचारियों की तरह नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई भते में १ मार्च ६४ के बजाय १ फरवरी ६४ से, १ अगस्त ६४ से तथा १ मार्च ६५ से ५)-५) रूपया के मंहगाई भते में बढोतरी का स्पष्ट आदेश प्रसारित करने।

४) नगरपालिकाओं के निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये 'वर्क चार्ज सर्विस रूल्स' को आधार मान सेवा नियम निर्मित करने।

५) न्यूनतम वेतन संबंधी राजाज्ञा दि० २६-८-६५ को प्रभावशील होने से रोकने तथा न्यूनतम वेतन में परिवर्तन करने हेतु।

६) (क) पालिकाओं के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन करने,
(ख) पालिकाओं के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन करने,
(ग) हरिजन कर्मचारियों को भी चतुर्थ वर्ग में लिये जाकर राज्य कर्मचारियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान तमाम सुविधाएं देने।

७) पालिकाओं में रिक्त या नये रचित पदों पर पालिका कर्मचारियों का ही प्रमोशन करने और पालिकाओं में अधिकारियों की बाढ को रोकने।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने अपने पूर्व प्रस्ताव व मांग - पत्र दि० ११-६-६५ में स्पष्ट कर दिया था कि छः सप्ताह मे मांग पत्र लागू नहीं करने पर राज्य व्यापि आन्दोलन किया जावेगा। पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातस्थिति को दृष्टि में रख केन्द्रीय समिति ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया था। लेकिन राष्ट्रीय आपातस्थिति एवं पालिका कर्मचारियों के सहयोग का राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और कर्मचारियों की समस्याओं और मांग पत्र को हल करने की तनिक भी कोशीश नहीं की। इसी कारण से केन्द्रीय समिति को पुन: हड़ताल व आन्दोलन का निर्णय लेना पड़ा हैं।

इस संकटकाल को कम से कम ख्याल रख पालिका कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र ही हल करने का कष्ट करें। यदि इन पत्रों को भी लालफीताशाही में उलझा कर निर्णय नहीं लिया तो म्युनिसीपल कर्मचारी अपने नोटिस अनुसार आन्दोलन करेंगे।

संलग्न - ६

केन्द्रीय सेक्रेटरी

प्रतिलिपि समस्त संबंधीत संगठन पास

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ

प्रस्ताव

जम्मू - कश्मीर राज्य पर कब्जा करने के लिये पूर्व में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा और बाद में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने युद्ध विराम रेखा को पार की और छम्ब क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में घुस मातृभूमि पर नग्न आक्रमण किया है। पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने के लिये हमारी सेनाओं के प्रयत्न करने पर पाकिस्तानियों ने हवाई हमले शुरू कर दिये। पाकिस्तानी तानाशाही ने कई स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी।

पाकी आक्रमण के पीछे चीनी तानाशाहों और आंग्ल अमरीकी योजना और खुली गुण्डागर्दी है। इस आक्रमण के पीछे चीनी - अमरीकी और अंग्रेजों का खुला हाथ है। आंग्ल अमरिकियों ने पाकिस्तान को आक्रमण कारी घोषित नहीं कर उसे समान स्तर दिया है। बरतानिया और उसकी घोर प्रतिक्रियावादी विलसन सरकार ने उपनिवेशवादी और एशियाई देशों को आपस में लड़ा कर अपनी दया पर जिन्दा रखने की कार्यवाही की है। पाकिस्तानी नग्न आक्रमण, चीनी - अमरीकी - ब्रिटीस गुंडागिर्दी और हमलावरों को प्रोत्साहन देने की नीति की राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की यह समिति घोर निन्दा करती हैं।

भारत सरकार ने दुश्मन को मातृभूमि से खदेड़ने के लिये जवाबी कार्यवाही की, उसका राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की यह समिति और उसके पालिका सदस्य पूर्ण करते है और संकल्प करते है कि मातृभूमि और आजादी की रक्षा के लिये और स्वर्गीय पं० जवाहरलाल जी नेहरू के आजादी - अमन - तरक्की और धर्म निरपेक्ष सिद्धान्तों की रक्षा तथा तानाशाही की समाप्ति के लिये म्युनिसीपल कर्मचारियों को जो भी कार्य सौंपा जायेगा, वह सहर्ष करेंगे !

केन्द्रीय समिति समस्त पालिका कर्मचारियों और उनके संगठनों से अनुरोध करती हैं कि अपना एक दिन का वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे। यह राशि सीधी राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय के पास भिजवाये। अपने नगर में नागरिक सुरक्षा के लिये कार्य करे और सैनिकों के लिये खून देने या दिलाने का प्रयत्न शीघ्र शुरू करे।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की यह समिति माननीय प्रधान मन्त्री महोदय से अनुरोध करती है कि पाकिस्तान ने नग्न आक्रमण कर युद्ध विराम को तोड़ा है और पिछले अठारह वर्षों से देश को तबाही पर ले जाने का प्रयत्न किया है, अतएव कश्मीर के किसी भाग पर युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया जाये और जम्मू - कश्मीर प्रान्त की बल्कि जो भारत वर्ष का अन्य प्रान्तों की तरह एक प्रान्त है, की अखण्डता - सार्वभौमिकता को ध्यान में रख बड़ी शक्तियों द्वारा थोपा गया राजनैतिक हल स्वीकार न कर आक्रमणकारियों को जम्मू - कश्मीर प्रान्त से खदेड़ा जाये। आपके इस प्रयत्न में देश की सारी शक्ति आपके पीछे है।

२।९।६ [signature]

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ, उदयपुर

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एवं कोटा क्षेत्रीय समिति के संकल्प

दिनांक १२ व १३ सित० ,६५

प्रस्ताव सं० १

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दि० ११ जून १९६५ को हुई । समिति ने राज्य के नगरपालिका कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, सहूलियतों, सेवा नियमों व अन्य नियमों में परिवर्तन, संशोधन करने आदि के संबंध में प्रस्ताव एवं मांग - पत्र स्वीकार किये। प्रस्ताव एवं मांग - पत्र को कार्यान्वित करने हेतु श्री निर्देशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार के पास पत्र संख्या ३३१-३३७, ६५ दि० ३१-६-६५ को प्रेषित किये गये और पत्र दिनांक २३-७-६५, दि० १६-८-६५ और भिजवाये, लेकिन श्री निर्देशक, स्थानीय निकाय से मांग पत्र की कार्यान्विती दूर रही, तीन मास से उत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ है । श्री निर्देशक और उनके विभाग का व्यवहार नगरपालिका कर्मचारियों के प्रति उपेक्षित मजदूर विरोधी है । फेडरेशन और स्थानीय संगठनों के पत्रों को स्थानीय निकाय या स्वायत शासन विभाग द्वारा शीघ्र नहीं निपटाने, सुलझाने के कारण ही अक्सर कर्मचारियों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है ।

नगरपालिका कर्मचारियों पर दोहरी शासन व्यवस्था है । स्वायत शासन विभाग और नगरपालिकाओं के अलग अलग हुक्म व आदेश जारी होते हैं और कर्मचारीगण यह नहीं समझ पाये है कि हम किसके नौकर है क्योंकि कोई भी कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भता, अन्य साधन सुविधाओं के संबंध में कोई स्पष्ट जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं । आज नगरपालिका कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों से कम वेतन, मंहगाई भता और अन्य साधन सुविधाएँ मिलती हैं । यहां तक की दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों से भी नगरपालिका कर्मचारियों की गिरी हुई सेवा - स्थिति है ।

अपनी गिरी हुई सेवा स्थितियों, वेतन मानों और अन्य सुविधाओं के लिये नगरपालिका कर्मचारियों को राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों के अभाव में अक्सर छोटी छोटी सुविधाओं और सहूलियतों की प्राप्ति, वेतन और मंहगाई भतों में की बढ़ौतरी के लिये आन्दोलन तथा हड़ताल करनी होती हैं ।

केन्द्रीय समिति ने अपने मांग पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि कुछ सप्ताह के भीतर भीतर मांग पत्र की मांगों को लागू नहीं करने पर नगरपालिकाओं के बाहर सामूहिक धरना, भूख हड़ताल या आम हड़ताल की जायेगी । राज्य सरकार पर इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ और ऐसा प्रतित होता है कि सरकार नगरपालिका कर्मचारियों के संगठनों की शक्ति देखना चाहती है । नगरपालिका संगठन भी सामूहिक रूप से अपने सदस्यों के हकों, हितों की सुरक्षा, उचित वेतन, मंहगाई और प्रोविडेन्ट फण्ड में बढ़ौतरी, सेवा और अन्य नियमों में परिवर्तन - संशोधन कराने, अन्य साधन सुविधाओं की प्राप्ति के लिये अपनी शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है ।

अत: राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और कोटा क्षेत्रीय समिति के समस्त सदस्य राज्य सरकार की मजदूर विरोधी रवैयों और नगरपालिका कर्मचारियों के प्रति उपेक्षित एवं हीन भावों की निन्दा करते हैं और पूर जोर शब्दों में मांग करते है कि छ: सप्ताह के भीतर भीतर राज्य सरकार मांग पत्र की मांगों को कार्यान्वित करे। इस अवधि मे मांग पत्र लागू नहीं करने पर प्रान्त व्यापि हड़ताल की जायेगी।

मांग पत्र की कार्यान्विति कराने के लिये आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाने तथा राज्य अधिकारियों से बातचीत करने के लिये निम्न सदस्यों की एतदर्थ समिति बनाती हैं :-

१) श्री चान्दाराम जी सा०, २) श्री अयोध्यानाथ जी सा०
३) श्री मोहनलाल जी सा०, ४) श्री पूर्णानन्द जी सा०
५) श्री पुरूषोत्तम जी सा० ६) श्री गणेशलाल जी सा०
७) श्री रामचन्द्र शर्मा

इस समिति के सदस्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्ति के लिये और सदस्यों को मनोनीत करने का केन्द्रीय समिति श्री जनरल सेक्रेट्री को अधिकार देती हैं।

प्रस्ताव सं० २

राजस्थान सरकार ने राज्य की द्वितीय से पंचम श्रेणी तक की पालिकाओं के कर्मचारियों की स्ट्रैंथ फिक्स करने के लिये श्री शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति मे राज्य सरकार और नगर-पालिकाओं के प्रतिनिधि लिये गये तथा कर्मचारियों और उनके संगठनों के प्रतिनिधि नहीं लिये गये हैं।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की स्ट्रैंथ निश्चित करने का असर कर्मचारियों की बढ़ौतरी, कमी, वर्क लौड का बढ़ना, रिट्रेन्चमेन्ट के रूप में आयेगा। ऐसे मसलों पर त्रि-दलीय समझौते के अनुसार 'वर्कर्स पार्टीसिपेशन' होना आवश्यक है। लेकिन स्वायत शासन विभाग ने त्रिदलीय समझौते को ताक मे रख दिया हैं।

कर्मचारियों की स्ट्रैंथ कायम करने के लिये समिति ने कोई निश्चित माप-दंड, नागरिकों का रहन सहन, आबादी, नगर की स्थिति और कार्य की क्षमता बाबत वैज्ञानिक आधार निश्चित नहीं किये है और न इस संबंध में कर्मचारियो और उनके संगठनों को ही सुना हैं।

केन्द्रीय समिति की स्पष्ट मान्यता है कि वर्कर्स रिट्रेन्चमेन्ट और वर्क लौड को किसी आधार पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

केन्द्रीय समिति एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की यह संयुक्त बैठक राज्य सरकार से मांग करती है कि स्ट्रैंथ कायम करने के लिये नियुक्त समिति में फैडरेशन को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाय और स्ट्रैन्थ कायम करने के लिये कायम एवं संगठनों को सुन कर वैज्ञानिक आधार निश्चित किये जायें।

प्रस्ताव सं० 3

राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के मजदूरों के मंहगाई भत्ते में १ फरवरी, ६४, १ अगस्त ६४ और १ मार्च ६५ से ५ - ५ रूपया बढौतरी की । नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते मे बढौतरी का स्पष्ट आदेश नहीं होने से मंग करने पर राज्य सरकार ने १ मार्च ६४, १ अगस्त ६४ व १ मार्च से ६५ से मंहगाई बढाने का अस्पष्ट आदेश दिया, जिसमें नगरपालिकाओं पर इस मंहगाई बढौतरी का उत्तरदायित्व रख दिया । इस अस्पष्ट आदेश के कारण नगरपालिकाऐं अतिरिक्त आर्थिक भार वहन न करने के कारण ५) रूपया मंहगाई भत्ते में बढौतरी नहीं कर रही है। कर्मचारियों को इसे हांसिल करने के लिये आन्दोलन, हड़ताले करनी पड़ती है और उस पर भी नगरपालिकाऐं इन्कारी या अपनी इच्छानुसार तिथि तय कर मंहगाई बढौतरी करती हैं जबकि अन्य उद्योगों में राज्य कर्मचारियों के बढौतरी की तारीख से बढौतरी होती है । अन्तरीम बढौतरी करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी ।

आवश्यक वस्तुओं के भावों की बढौतरी और आसमान छूती मंहगाई का असर राज्य सरकार और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ रहा है । फिर सरकार द्वारा यह फर्क क्यों ? राज्य सरकार ने फरवरी ६४ के बजाय पालिकाओं के लिये मार्च ६४ से बढौतरी का आदेश दिया । कई नगरपालिकाओं ने अगस्त ६४ के बजाय अप्रैल ६५ से बढौतरी की एवं मार्च ६५ के मंहगाई भत्ते में बढौतरी का प्रश्न तो संघर्ष के लिये उलझा रखा है। सरकार की इस उलझन भरी, अस्पष्ट और दोहरी नीति के कारण कर्मचारियों में असन्तोष बढता जा रहा है ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की यह संयुक्त बैठक राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ते और अन्य सामान सुविधाओं के लिये नगरपालिका कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारियों के समान स्पष्ट नीति की घोषणा करे । संयुक्त समिति राज्य सरकार और नगरपालिकाओं प्रशासनों यह भी मांग करती है कि -

(१) नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में ५) रूपया की बढौतरी १ मार्च ६४ के बजाय १ फरवरी ६४ से की जायें,

(२) १ अगस्त ६४ और १ मार्च ६५ से ही नगरपालिका कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में ५) - ५) रूपयों की बढौतरी करने के लिये राज्य सरकार नगरपालिकाओं को स्पष्ट आदेश देवे ।

प्रस्ताव सं० - ४

नगरपालिकाओं के निर्माण विभाग मे कार्य करने वाले सर्वियर, मिस्त्री, पेट और गेंग मजदूरों के लिये अब तक नियमों का निर्माण नहीं किया गया है । ऐसे कर्मचारियों की लम्बी सेवायें होते हुए भी अधिकारियों की दया पर जिन्दा रहना होता है । इन कर्मचारियों का वेतन निश्चित नहीं है और जो कुछ मिलता है वह फिक्स वेतन होता है । मंहगाई अलाउन्स, प्रोविडेन्ट फण्ड, अवकाश, वर्दियां, वेतन श्रृंखलाऐं, इन्क्रीमेन्ट, आदि सुविधाऐं मिलती ही नहीं हैं । जब भी नगरपालिका

की सेवा से जाना होता है, खाली हाथ जाते हैं ।

राज्य सरकार के निर्माण, सिंचाई, वाटर वर्क्स, आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों को सामाजिक न्याय और सेवाओं बावत "वर्क चार्ज सर्विस रूल्स" का निर्माण कर उपरोक्त तमाम सहूलियतें - सुविधाएँ और साधन दिये गये हैं ।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और कोटा क्षेत्रीय समिति की यह संयुक्त बैठक राज्य सरकार से निवेदन करती है कि नगरपालिकाओं के निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्क चार्ज सर्विस रूल्स को आधार मान स्थाई, [illegible] अर्द्ध स्थाई, अस्थाई किया जाकर अन्य कर्मचारियों के समान तमाम साधन सुविधाएँ दी जायें ।

प्रस्ताव सं० ५

राज्य सरकार ने राजाज्ञा सं० एफ ३ (२०), लेबर, ६३ दिनांक २६-८-६५ से नगरपालिका कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन घोषित किये हैं, उससे पालिका कर्मचारियों को दुःख एवं निराशा हुई है । एक लम्बे अर्से की इन्तजारी के बाद कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला है ।

राजस्थान सरकार ने सन् १९५४ में निर्धारित न्यूनतम वेतन सन् १९५६ में लागू किये, जो कि राज्य में सबसे कम न्यूनतम वेतन १ =) एक रुपया दो आना पालिका कर्मचारियों के लिये था । सरकार की इस घोषणा का राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ द्वारा विरोध किया जाकर पत्र संख्या आर एम के एस, यु - जी, ७३२, ५९-६० दिनांक २१-५-५९ से माँग की कि सरकार न्यूनतम वेतन पर पुनर्विचार कर ८५) रुपया घोषित करे । ८५) रु० सरकार द्वारा कुली मिलों के काम के भार और उनके वेतन स्तर की जांच के बारे में नियुक्त "देशपांडे कमेटी" की रिपोर्ट का आधार था ।

इसी आधार पर श्री शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को पत्र दि० २०-८-५९ से निवेदन किया कि पालिका कर्मचारियों को ८५) रु० न्यूनतम वेतन मान प्रत्येक वर्ग की वेतन मान निश्चित किये जायें ।

राजस्थान सरकार ने बार बार मांग करने पर नगरपालिका कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन पुनर्विचार करने हेतु क्रमांक एफ ३ (२०६) लेबर, ६० दि० २६-११-६२ से श्री आर० एन० हागर्वो, डाईरेक्टर, इकोनोमिक्स एण्ड एन्डस्ट्रीयल सर्वे की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया, जिसमें तीन राजकीय [illegible], तीन पालिकाओं एवं तीन ही मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि थे ।

इस समिति की प्रश्नावली [illegible] पर राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ ने समिति को १ मार्च, १९६३ को एक ज्ञापन दिया, जिसमें नगरपालिकाओं की श्रेणी विभाजन समाप्त कर विभिन्न वर्गों का न्यूनतम वेतन प्रस्तावित किया । ९२) बानवे रुपया सबसे कम वेतन था, जिसमें मंहगाई अलाउन्स भी सम्मिलित है ।

समिति ने राज्य की २५ के करीब नगरपालिकाओं का भ्रमण किया । पालिकाओं के अध्यक्ष, पार्षद, प्रशासनीक अधिकारियों, मजदूर प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किया । राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के [illegible] पाली अधिवेशन में श्री निर्देशक, स्थानीय निकाय, संस्था के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से बात की । नगर-

पालिकाओं की बजट व्यवस्था, आय स्त्रोत, कर्मचारियों को मिलरहा न्यूनतम वेतन, कार्य व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । नगरपालिकाओं की ओर से सिद्धान्ततः यह मान लिया गया कि पालिका-कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन, मंहगाई भत्ता एवं अन्य सुविधायें मिलनी चाहिये ।

समिति ने अपनी अन्तिम बैठक दि० २४-१२-६३ में सर्व सम्मति से विस्तृत रिपोर्ट एवं वेतन मान स्वीकार किये । यह वेतन मान विभिन्न वर्गों का वेतन श्रृंखलाओं के रूप में था । मंहगाई एवं अन्य अलाउन्स वेतन श्रृंखलाओं से अलग । हरिजन कर्मचारियों को मैला कार्य का ५) रूपया स्केवेंजिंग अलाउन्स की समिति ने सिफारिश की ।

समिति की रिपोर्ट चार माह बाद "न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल" द्वारा आवश्यक रद्दो तरमीम के साथ सिफारिश स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास प्रेषित की गई । इस मण्डल में भी त्रिपक्षीय प्रतिनिधि थे ।

राजस्थान सरकार ने एक वर्ष और चार मास तक इन सिफारिशों को एक कमरे से दूसरे कमरे में एवं लाल फीताशाही में उलझा रखा । राजस्थान म्युनिसिपल कर्मचारी संघ के नोटिस पर समिति एवं मण्डल की सिफारिशों को एक तरफ धरी रख कर सरकार ने अधूरे एवं मनमाने वेतन घोषित कर दिये । जिसमें वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य अलाउन्सेज से भी कर्मचारियों को वंचित कर दिया । सरकार की यह घोषणा राजकीय प्रतिनिधियों सहित त्रिदलीय शिफारिशों की अवहेलना की ।

केन्द्रीय एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की इस बैठक को बहुत दु:ख है कि सरकार ने श्रमिक संगठनों के सहयोग का सम्मान नहीं किया है और न मजदूर वर्ग की बढ़ती हुई कठिनाईयों के प्रति हमदर्दी प्रगट की है । तीनों दलों के एक राय के निर्णय के खिलाफ सरकार का इस प्रकार मनमाना रवैया लोकतान्त्रिक समाजवाद के मान्य सिद्धान्तों का अपमान है ।

सरकार की इस घोषणा से यह भी प्रगट होता है कि सरकार मजदूरों के मुकाबले पालिकाओं के हितों की ज्यादा ख्याल रखती है, जबकि मजदूर हितों की रक्षा प्रत्येक समाजवादी सरकार का प्रथम कर्तव्य है । विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि आर्थिक संकट, पाकिस्तानी नग्न आक्रमण, चीनी आक्रान्ताओं की धमकियां एवं साम्राज्यवादी षड़यन्त्र के समय औद्योगिक शान्ति बनाये रखना, भविष्य में मातृभूमि की ओर आंख नहीं उठाये - अतएव आक्रमणों को निर्जिव करने, राष्ट्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाओं के लिये परम आवश्यक है ; यह सब मजदूरों के न्यूनतम वेतन निर्वाह पर निर्भर हैं ।

सरकार ने ६०) रूपया एवं अन्य वर्गों का न्यूनतम वेतन निश्चित किया है, उससे अधिक आज भी पालिका कर्मचारियों को मिल रहा हैं, ऐसी अवस्था में सरकार के इस घोषित न्यूनतम वेतन से कोई लाभ नहीं है । केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं क्षेत्रीय समिति राजस्थान सरकार की मजदूर विरोधी एवं नौकरशाही प्रवृति की निन्दा करती है और पूर जोर शब्दों में मांग करती है कि :-

१) दिनांक २६-८-६५ के न्यूनतम वेतन संबंधी नोटिफिकेशन की प्रभावशील ता को यथाशीघ्र रोकने की कार्यवाही करें,

२) न्यूनतम वेतन पुनर्विचार समिति और मण्डल की सिफारिशें अनुसार न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि, मंहगाई भत्ता एवं अन्य अलाउन्स लागू करें ।

यह संयुक्त बैठक यहां यह स्पष्ट करना उचित समझती है कि यदि सरकार अपनी अड़ियल नीति पर ही कायम रही तो वर्तमान संकटकाल की समाप्ति पर पालिका कर्मचारियों को प्रान्त व्यापि हड़ताल करनी होगी । इस औद्योगिक अशान्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।

प्रस्ताव सं० - ६

(क)

राजस्थान सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिये "दी राजस्थान म्युनिसीपल सब - आर्डिनेट एण्ड मिनिस्ट्रीयल सर्विस रूल्स, १९६३ " एवं इसके साथ में शिड्युल प्रकाशित की है, उसके संबंध में राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की ओर से राज्य सरकार के पास आपति पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था । राजस्थान स्वायत शासन संस्था के पाली अधिवेशन मे निर्मित सब - कमेटी के द्वारा फेडरेशन की ओर से वैमत्य - टिप्पणी प्रस्तुत की गई । राज्य सरकार ने इस वैमत्य टिप्पणी और आपति पत्र के पश्चात् नोटिफिकेशन दि० १० सितम्बर ६४ मे कुछ पद के परिवर्तन प्रकाशित किए । लेकिन अब भी नगरपालिकाओं में प्रचलित एवं आवश्यक पदों को राज्य सरकार ने आवारा किया है और छोड़ दिया है ।

इन नियमों के देखने से ऐसा लगता है कि स्वायत शासन विभाग मे नगरपालिका की कार्य प्रणाली, कार्य व्यवस्था, संचालन, नागरिक उतरदायित्व को समझने वाला कोई नहीं है । इसी कारण से बराबर भूल चली आ रही है । पालिकाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा - पानी - रोशनी, निर्माण कार्य, नागरिक सुविधा, मनोरंजन, आदि है । परन्तु जिन नियमों का निर्माण किया गया है और उसके साथ शिड्युल लगाई गई है, इन जिम्मेदारियों को पूरा कराने वाले कर्मचारियों के पदों की स्थिति को मंजूर न कर उन्हें छोड़ दिया है । यहां तक की राज्य सरकार ने नगर-पालिकाओं की बजट व्यवस्था को भी देखने का कष्ट नहीं किया । सरकारी अधिकारियों के कारण और पालिका कर्मचारियों के प्रति राग द्वेषता के कारण पालिका कर्मचारियों को जलील होना पड़ता है । उदाहरणार्थ - भूतपूर्व रियासत के समय से ही बूंदी नगर-पालिका शिक्षा का संचालन कर रही है । नियमों में अध्यापकों के पदों को छोड़ने से पालिका ने शिक्षा व्यवस्था बन्द करने का प्रस्ताव पास कर लिया । क्या यह सब हमारे १८ वर्षों के लोकतन्त्रीय शासन, लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण एवं समाजवादी समाज रचना के खिलाफ "काला कानून " नहीं है ।

अतः राज्य सरकार केन्द्रीय समिति द्वारा स्वीकृत पूर्व प्रस्ताव अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन और नये पदों की रचना करे ।

(ख)

राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग ने तृतीय श्रेणी के सेवा - नियमों के पश्चात् नोटिफिकेशन संख्या टैक्स, रूल्स, एफ.२१ (डी एल बी) ६४ दि० ४-९-६४ से " दी राजस्थान म्युनिसीपेलिटिज (क्लास फोर्थ सर्विस) रूल्स १९६४ " प्रकाशित कर लागू किये । इन नियमों के अध्ययन पर केन्द्रीय कार्यकारिणी

समिति एवं कोटा क्षेत्रीय समिति के सदस्यों ने एक मत से राय व्यक्त की कि सरकार कर्मचारियों के संगठन 'राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ' की सम्मति के बिना कर्मचारियों पर काले नियमों को थोप रही है। नगरपालिका कर्मचारियों के लिये जिसकी 'लाठी उसकी भैंस' वाला सिद्धान्त लागू कर रही है। इन नियमों के कारण पालिका के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हुई है। कई चालू पदों को छोड़ देने से कर्मचारियों का फिक्सेशन रुक गया है। हरिजन कर्मचारियों को 'चतुर्थ श्रेणी' वर्ग से ही अलग कर उन पर अब तक 'जंगल का कानून' लागू कर रखा है। हरिजनों को समाज ने पहले ही अछूत बना रखा है और सरकार ने भी चतुर्थ वर्ग में हरिजनों को नहीं ले स्वर्णों सा अस्पृश्य व्यवहार किया है।

राज्य सरकार एक ओर विकेन्द्रीयकरण करना चाहती है। पंचायत समितियों को अधिक अधिकार देकर उनके कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही वेतन, मंहगाई भता और साधन सुविधाऐं उपलब्ध की है, इसके विपरीत नगरपालिका कर्मचारियों की साधन सुविधाओं में कटौती कर दी है तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्मित सभी बंदिसों के नियम उन्हीं के त्यों लागू कर दिये है। नगरपालिका एवं राज्य सरकार की दोहरी शासन व्यवस्था से कर्मचारी पिसता जा रहा है।

राजस्थान सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैया का यह सम्मेलन निन्दा करता है और मांग करता है कि चतुर्थ कर्मचारी सेवा नियमों की निम्न धाराओं में संशोधन, परिवर्तन करें:-

(१) धारा (२) (बी) :- पालिकाओं में रिक्त पद पर प्रमोशन या आफिसियेटिंग या अस्थाई रूप से कार्य करने वाला भी 'Member of the Service' कहलायेगा।

(२) धारा (४) :- ये नियम ३ मार्च १९६४ से प्रभाव में आये है और इन नियमों के प्रभाव में आने से पूर्व राजस्थान म्युनिसीपल एक्ट १९५९ में नगरपालिकाओं को दिये गये प्रावधानों, अधिकारों के अन्तर्गत नियुक्ति, प्रमोशन, स्थाईकरण पालिका द्वारा किये गये, ऐसी अवस्था में धारा ४ में दि० १७-१०-५९ से 'सबसन्टेटीव एपोइन्टमेन्ट' का दिया है, वह गलत और अवैधानिक है। नियमों के प्रभावशील होने की तारीख के बाद की नियुक्तियां 'सबसन्टेटीव एपोइन्टमेन्ट' समझी जावे।

(३) धारा (६) :- यह धारा निरर्थक है।

टिप्पणी :- पालिकाओं में चतुर्थ वर्ग में अधिकांश पिछड़ी व परिगणित जातियों में से ही नियुक्तियां होती है। रिजर्वेशन का सवाल गलत है।

(४) धारा (७) :- पालिका सेवा में भर्ती की आयु ३० वर्ष रखी जाय और रिटायरमेन्ट की ६० वर्ष आयु निश्चित की जाय।

(५) धारा (१९) :- (क) संलग्न शिड्यूल में कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला निश्चित की है वे बहुत ही कम है। नगरपालिका और राज्य सरकार के कार्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। पालिका का कार्य और अधिक कठिन है। फिर समान कार्य में वेतन मान में अन्तर समाजवादी सिद्धान्तों के विपरीत है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला में सन् १९६१ में परिवर्तन किया गया, जिसमें मंहगाई अलाउन्स का भाग भी सम्मिलित

कर दिया था, लेकिन सरकार ने पालिका के कर्मचारियों को उससे वंचित रखा है और इससे उनको वंचित रख भविष्य के लिये उनको आर्थिक नुकशान पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता को दृष्टि में नहीं रख ये वेतन श्रृंखलाऐं निश्चित की गई है। जैसे शिड्यूल के आईटम सं० ८,१०,११,१३ की।

(ख) राज्य सरकार की तरह मंहगाई भते को सन् १९६१ से ही वेतन में जोड़ा जाये।

(ख) पालिकाओं में चतुर्थ वर्ग में प्रचलित निम्न पदों को छोड़ दियां है, उन्हें चतुर्थ वर्ग में लिया जाकर पद कायम किये जायं :-

१. हरिजन
२. पटेल
३. गार्ड) स्वास्थ्य एवं माल विभाग के लिये ये
४. हेड गार्ड) पद होंगे।
५. गेंग मेट

गार्ड की योग्यता चपड़ासी के समान तथा हेड गार्ड की योग्यता आठवीं उतीर्ण होना चाहिये।

(६) धारा(१२) :- इस धारा द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रचलित, प्रभावशील सभी पावन्दियां लागू कर दी है, लेकिन पालिका कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है जबकि नगरपालिका कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी कुर्सियों पर बैठे रहते है और पालिका कर्मचारी गन्दगी में काम करते हैं। समान कार्य के लिये कम से कम समान वेतन एवं सुविधा दी जानी चाहिये। -

(क) चिकित्सा :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए शिड्यूल में दी गई वेतन श्रृंखलों के अनुसार न्यूनतम वेतन २५) रुपया है और इस न्यूनतम वेतन पर कर्मचारियों को अधिकतम मेडीकल अलाउन्स १,२५ पैसे मिलते हैं। यह भी जब कि पालिका २५ रुपया वेतन दे दे। क्योंकि कई पालिकाऐं तो १० और १५ रुपया ही वेतन दे रही हैं। शिड्यूल में हरिजनों का नाम नहीं होने से मेडीकल अलाउन्स १,२५ पैसे से भी वंचित कर दिया गया है। कृपया आप ही सोचिये की १० से २० रुपया वेतन पर प्रतिशत से मेडीकल अलाउन्स क्या होगा? क्या इस रकम में कर्मचारी डिस्टील वाटर भी खरीद पायेंगे?

म्युनिसीपल कर्मचारी और उसमें भी हरिजन मैला का कार्य करते है और मैला का कार्य करते हुए उन्हें छूत एवं अन्य एपेडेमिक बिमारी लग जाती है। ऐसी भयंकर बिमारियों के इलाज के लिये ७५ पैसे से १२५ पैसे देना भी सरकार ने नगरपालिकाओं की दया पर छोड़ दिया है। जबकि कुर्सियों और खस की टटियों मे बैठने वालों के लिये सैकड़ो रूपयों की छूट दे दी है। यह कर्मचारियों का ही नहीं साम्यवाद का गला घोटा है। विधान की सामाजिक समानता को चुनौती है।

इसलिये नगरपालिका कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा दी जाये। यदि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करे तो १०) रूपया मासिक मेडीकल अलाउन्स प्रत्येक कर्मचारी को दे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी की अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था पालिका नि:शुल्क करे।

(ख) शिक्षा :- इन नियमों के अनुसार पालिका कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह नि:शुल्क शिक्षा सुविधा मिल जानी चाहिये। लेकिन दोहरी शासन व्यवस्था और गैर जिम्मेदारीपूर्ण आदेशों के कारण शिक्षा सुविधा प्राप्त नहीं है। पालिका कर्मचारियों को ट्यूशन फीस भी देनी होती है।

अत: नि:शुल्क शिक्षा सुविधा की व्यवस्था की जाये।

(ग) पेंशन :- सरकार ने प्रोविडेन्ट फण्ड १९५८ में लागू किये हैं। इन नियमों के लागू होने के पूर्व से ही कर्मचारी पालिकाओं में सेवा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पिछली सेवाओं का मुआवजा नहीं दिया गया है। ग्रेच्युटी का पता नहीं है।

अतएव नियमों के लागू होने के पूर्व के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन दी जाय या नियुक्ति की तारीख के एक वर्ष बाद से प्रोविडेंट फण्ड व्यवस्था की जाकर लाभ दिया जाय। सम्पूर्ण सेवा पर २२ मास की ग्रेच्युटी दी जाये।

टिप्पणी :- (क) पालिका कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी बहुत अन्तर है। सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता वेतन में जोड़ दिया गया है, परन्तु पालिकाओं का नहीं। सरकारी कर्मचारियों से पालिका कर्मचारियों को कम मंहगाई अलाउन्स मिलता है। मंहगाई भत्ते में भी पालिका पालिका में अन्तर है। इसलिये इस अन्तर को तत्काल बन्द किया जाकर प्रत्येक कर्मचारी को १ मार्च ६५ का मंहगाई अलाउन्स सहित न्यूनतम ५०) रूपया २५ रूपया वेतन पर दिया जाये तथा भविष्य में जब भी सरकारी कर्मचारियों के बढ़ोतरी के आदेश हों, पालिका कर्मचारि के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी का स्पष्ट आदेश प्रसारित किया जाये।

(ख) सन् १९६१ से राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को वेतन में जोड़ दिया। इसलिये पालिका कर्मचारियों के मंहगाई अलाउन्स को स्पष्ट आदेश द्वारा वेतन में जोड़ा जाये। जब तक यह नहीं किया जाता - यही टिप्पणी बेकार होगी। इसे विलोप्त कर दी जाये।

(७) <u>धारा (१३)</u> :- (१) जब तक वेतन श्रृंखलाओं में परिवर्तन न हो जाये - यह धारा हटा दी जाये।

(२) जो भी कर्मचारी पैंशन लेना चाहें, उन्हें पैंशन का लाभ दिया जाय।

(३) सभी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोविडेन्ट फण्ड का लाभ दिया जाय।

टिप्पणी :- प्रोविडेन्ट फण्ड नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन के लिये राज्य सरकार ने श्री परीदाकजी, लोकल आडिट फण्ड डिपार्टमेन्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उस कमेटी को फैडरेशन द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसी अनुरूप राज्य सरकार नियमों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन स्वीकार करें और उन्हें तत्काल लागू करें।

अतएव सरकार से केन्द्रीय समिति एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की यह संयुक्त बैठक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमों में उपरोक्त उल्लेखित सुझावों के अनुसार संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन करने की मांग करती है।

(ग)

राजस्थान सरकार ने आजादी के १७ वर्षों में नगरपालिकाओं के चतुर्थ वर्ग के लिये क्रमांक टैक्स, रूल्स, एफ. २१ (डी एल बी), ६४ दि० १२ फरवरी ६२ से नियम प्रकाशित किये हैं, इनमें चतुर्थ वर्ग में हरिजन कर्मचारियों को नहीं लिया है और आज भी उन पर जंगल का कानून चल रहा है। समाज का सबसे निकृष्ट कार्य करने वाले हरिजनों को नगरपालिकाओं की दया पर छोड़ दिया है, जिनके वेतन, मंहगाई भत्ता, अवकाश, वर्दियां, आदि में बहुत अन्तर है। सरकारी अधिकारियों की समाजवादी समाज रचना में यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अन्य मजदूर वर्ग के समान ही नहीं, उससे अधिक कार्य करने वाले हरिजनों को सबसे कम वेतन, मंहगाई भत्ता और साधन सुविधायें मिलती है।

राजस्थान सरकार की हरिजन बन्धुओं के प्रति हीन और उपेक्षित भावनाओं की केन्द्रीय एवं कोटा क्षेत्रीय समिति की यह संयुक्त बैठक निन्दा करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि हरिजन कर्मचारियों को चतुर्थ वर्ग में लेकर उन्हें राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन, मंहगाई भत्ता, हाउस रेन्ट अलाउन्स, मेडीकल और शिक्षा सुविधा, वर्दियां, सभी प्रकार के अवकाश देवें। जो हरिजन मैला और सफाई का कार्य करते हैं, उन्हें स्केवेंजिंग अलाउन्स ५) रुपया अधिक देवें।

<u>प्रस्ताव सं० ७ :</u>

नगरपालिका में रिक्त या नवीन पद रचित करने पर पालिका कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जा कर, उन पदों पर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को डेपुटेशन अलाउन्स पर नियुक्ति करती है। ऐसे कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तमाम सामन सुविधायें पालिकायें देती हैं। पालिकाओं के योग्य और अनुभवी कर्मचारियों के हकों और अधिकारों का हनन ही नहीं किया जाता बरन पालिकाओं पर दोहरा आर्थिक भार पड़ता है।

वर्क लोड पर पालिका स्टाफ बढ़ोतरी की मांग पर पालिका की आर्थिक स्थिति का रोना रोया जाता है, दूसरी ओर सरकार अपने कर्मचारियों को पालिकाओं पर थोपती जाती है। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की आवश्यकता पर नहीं बड़ा अधिकारियों की बाढ़ लाई जा रही है। राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय एवं कोटा क्षेत्रीय समिति- राज्य सरकार से मांग करती है कि :-

१) पालिकाओं में रिक्त या नवीन पदों की रचना पर पालिका कर्मचारियों को ही प्रमोशन दिया जाय और उपर से थोपने की नीति बन्द की जाय,

२) अधिकारियों की बाढ़ रोकी जाकर नीचे के कर्मचारियों की बढ़ोतरी की जाय।

३) इस समय पालिकाओं में डेपुटेशन पर सरकारी कर्मचारी रख रहे हैं, उनका डेपुटेशन समाप्त किया जाकर राज्य सेवामें उन्हें वापस लिया जाय और उन पदों पर पालिका [illegible] को प्रमोशन दिया जाय।